

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी
जिला पाली जरिये ग्राम विकास
अधिकारी ग्रा.प. कोटडी प.स. देसूरी
2. गोटाराम पुत्र अमराराम जाति
सीरवी निवासी कोटडी तह. देसूरी
जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 233 / 2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024 / 262.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामिल में जारी हुवे
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 570 दि. 19/03/24 को नोटिस जारी।</p>
22/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। जमीन का अधिकार प्रमाणित शर्तों पर प्रमाणित कर तिकेतन किया कि प्रमाणित निगरानी कर करने में नहीं खर्चा जायेगा। ऊपर प्रमाणित निगरानी कर तिकेतन स्वीकार की जाती है। पत्रावली के फलतः प्रमाणित नम्बर के कर छ, निर्दिष्ट करे राजस्व प्रमाणित गया।</p> <p style="text-align: center;">N 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>मदनसिंह</p> <p style="text-align: center;">N A</p>